प्रारूप–11

(नियम 7 (1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 111

वर्ष 2013

1. **श्रीमती कमला पत्नि श्री अलबेल सिंह एवं स्नेहलता पुत्री श्री अलबेल सिंह निवासी ए–32, नित्यानन्द नगर, 1–क्वीन्स रोड, जयपुर।**

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें।

आदेश

दिनांक 15/3/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)	किस्म भूमि
तहसील जयपुर जिला जयपुर	महाराजपुरा	90/112 90	0–05 7–05	गै.मु.बाडा बारानी–2
	कुल किता	2	7 बीघा 10 बिस्वा	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

उपायुक्त ए ... 12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि **ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 90/112, 90 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में स्थित भूमि** पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **(आवासीय)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15/3/13 को पारित किया गया।

sd/–

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क.स. 126

दिनांक 15.3.13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**
2. **उपायुक्त जोन–12 जविप्रा, जयपुर।**
3. **तहसीलदार तहसील, जयपुर** को पूर्वोक्त भूमि को **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर** के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर **सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी** को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. **श्रीमती कमला पत्नि श्री अलबेल सिंह एवं स्नेहलता पुत्री श्री अलबेल सिंह निवासी ए–32, नित्यानन्द नगर, 1–क्वीन्स रोड, जयपुर।**

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर